पत्रॉक 2915 / आयु0क0उत्तरा0 / धारा–57–अनुभाग / वाणि0कर / 2015–16 / देहरादून ।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57 अनुभाग)
देहरादूनः दिनांक : 03 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2015

प्रार्थना पत्र संख्या – 04/19.05.2015
द्वारा – सर्वश्री रेडियस कार्पोरेशन लि0,
239, आवास विकास, रानीपुर हरिद्वार।
उपस्थिति – श्री एम0 के शर्मा, अधिवक्ता फर्म, श्री प्रमोद अग्रवाल, जनरल मैनेजर फर्म ।
निर्णय का दिनांक – अगस्त, 2015

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

धारा–57 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र सर्वश्री रेडियस कार्पोरेशन लि0, 239, आवास विकास, रानीपुर हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ''स्वर्ण श्रीयन्त्र'' पर कर की दर स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया है।

व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार से आख्या प्राप्त की गयी। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार द्वारा निम्न प्रकार आख्या प्रेषित की गयी हैः–

'' व्यापारी द्वारा स्वर्ण श्रीयन्त्र के नाम से सन्दर्भित वस्तु का निर्माण किया जाना स्वीकार किया गया है, जिसमें जिंक, कॉपर, निकिल, सिल्वर मैटल तथा बाद में चौबीस कैरट गोल्ड की परत का प्रयोग करना स्वीकार किया गया है, घोषित वस्तु को धार्मिक कार्यों में प्रयोग हेतु प्रयुक्त होना बताया है, निर्मित वस्तु वैट अधिनियम की किसी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। अतः उक्त वस्तु पर अवर्गीकृत की भांति 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता आकर्षित होती है।''

प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु श्री एम0 के शर्मा, अधिवक्ता फर्म, श्री प्रमोद अग्रवाल, जनरल मैनेजर फर्म उपस्थित हुए। उनके द्वारा यह बताया गया कि वे स्वर्ण श्रीयन्त्र के नाम से सन्दर्भित वस्तु का निर्माण करते हैं, जिसके निर्माण में जिंक, कॉपर, निकिल, सिल्वर मैटल तथा ब्राद में चौबीस कैरट गोल्ड की परत का प्रयोग किया जाता है। सन्दर्भित वस्तु का प्रयोग मां ललिता अम्बा तथा महालक्ष्मी के पूजन हेतु किया जाता है जिसके कारण इस वस्तु का धार्मिक महत्व है एवं यह सामान्यतः पूजन हेतु मूर्ति के रूप में व्यवहृत की जाती है।

उक्त के आधार पर उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा प्रश्नगत वस्तु पर कर की दर स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

धारा–57 के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत मत एवं सुनवाई के समय प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर विचार किया गया।

व्यापारी द्वारा जिंक, कॉपर, निकिल एवं सिल्वर मैटल तथा इनके ऊपर चौबीस कैरट गोल्ड की परत का प्रयोग कर स्वर्ण श्रीयन्त्र का निर्माण किया जाता है। स्वर्ण श्रीयन्त्र का प्रयोग मात्र धार्मिक प्रयोजन हेतु नहीं वरन् अन्य यथा वास्तु व आध्यात्मिक प्रयोजन हेतु भी किया जाता है।

इसके अतिरिक्त व्यापारी द्वारा दाखिल किये गये THE PATENT OFFICE Government of India द्वारा प्रदत्त "CERTIFICATE OF REGISTRATION OF DESIGN" में उक्त सन्दर्भित वस्तु को DECORATIVE ARTICLE की श्रेणी में पंजीकृत किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि स्वर्ण श्री यन्त्र एक DECORATIVE ARTICLE अर्थात् आलंकारिक अथवा सज्जा–कला के रूप में प्रयुक्त होने वाली वस्तु है, जो उपरलिखित अन्य प्रयोजनों हेतु भी प्रयोग की जाती है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II (क) की प्रविष्टि संख्या–2 ''सोने, चांदी, प्लैटिनम एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं से बनी वस्तुएं जिसमें सोने, चांदी, प्लैटिनम एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं से बने आभूषण सम्मिलित हैं।'' है। किन्तु व्यापारी द्वारा बिक्री की जा रही वस्तु बहुमूल्य धातुओं से निर्मित वस्तुओं के अन्तर्गत नहीं आती है। वैट अधिनियम की किसी भी अनुसूची में इस प्रकार की वस्तु का उल्लेख नहीं है। अतः स्वर्ण श्री यन्त्र उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं होने के कारण अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति 13.5 प्रतिशत की दर से कराधेय है।

उक्तानुसार व्यापारी द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर दिया जाता है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित करनिर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजी जाए।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 2915 / दिनांक : उक्त :

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इंदिरानगर, देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून / कुमॉऊ जोन, रुद्रपुर।
4– एडिशनल कमिश्नर (आडिट) / (प्रवर्तन) वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून।
5– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियॉ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून / हल्द्वानी।
7– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार / रुद्रपुर।
8– मौ0 शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं web Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
9– संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
10– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।
11– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15 / 5 राजनगर, गाजियाबाद।
12– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
13– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
14– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।